



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-16022026-270173  
CG-TL-E-16022026-270173

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733।

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 733।

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 फरवरी, 2026

**का.आ. 771(अ).**—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के एलूरु जिले में 529/36 – 530/02 रेलवे किमी पर बादमपूडि स्टेशन यार्ड में समपार फाटक सं.369 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, एलूरु, एलूरु जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी राजस्व मंडल अधिकारी, एलूरु, एलूरु जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एलूरु जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 529/36 – 530/02 रेलवे किमी. पर बादमपूडि स्टेशन यार्ड में समपार फाटक सं.369 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	आर.एस. सं.	क्षेत्र (एकड़ – सेंट में)	भूमि का वर्गीकरण	एंजॉयर का नाम
1	114-1	0.234	इनाम आर्द्र	कडियला सुशील कुमार
2	114-2	1.518	सरकारी शुष्क	कडियला सुशील कुमार
3	111	0.081	सरकारी शुष्क	मर्री पंचाली एवं अनधियाचित
4	96-1	0.957	सरकारी शुष्क	मुल्लापुडि दुर्गा सुब्रह्मण्येश्वर अंजनि कुमार
5	98-1	0.581	सरकारी शुष्क	1. यमला संदीप 2. यमला राजशेखर @ श्रीरामचंद्रुडु
6	98-2	0.274	सरकारी शुष्क	1. अलपति कृष्णा वाणी 2. सेलि माधवी
7	104-5	0.006	इनाम शुष्क	यज्जवरपु सत्यवती
8	266	0.385	सरकारी आर्द्र	सारिका वेरकम्मा
9	98-1	0.03	सरकारी शुष्क	यमला संदीप
10	118-ए	0.348	जी.पी	तालाब
11	118-बी	0.052	जी.पी	रेलवे भूमि
12	118-सी	0.772	जी.पी	रेलवे भूमि
13	121-1	0.046	जी.पी	ग्राम केटम
14	122	0.475	जी.पी	रेलवे भूमि
15	112	0.134	जी.पी	बंडि दारी
16	113	0.125	जी.पी	बंडि दारी
17	110	0.297	जी.पी	सरकारी भूमि
18	79	0.206	जी.पी	सरकारी भूमि
19	101	2.388	जी.पी	तालाब

20	267	0.088	जी.पी	नहर
21	101	0.061	जी.पी	तालाब
	कुल	9.058		

[फा. सं. D.Con./BZA/ROB/369/20A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-IV

## MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

## NOTIFICATION

Secunderabad, the 2nd February, 2026

**S.O. 771(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which was given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Construction of ROB in lieu of LC No. 369 at Badampudi station Yard at Railway Km. 529/36 – 530/02 in Eluru District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Revenue Divisional Officer, Eluru, Eluru District, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority Revenue Divisional Officer, Eluru, Eluru District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

## SCHEDELE

## Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:

**Construction of ROB in lieu of LC No. 369 at Badampudi station Yard at Railway Km. 529/36 – 530/02 in Eluru District in the state of Andhra Pradesh.**

Sl. No.	R.S. No.	Extent (Acres - Cents)	Classification of Land	Enjoyer Name
1	114-1	0.234	Inam Wet	Kadiyala Suseel Kumar
2	114-2	1.518	Govt. Dry	Kadiyala Suseel Kumar
3	111	0.081	Govt. Dry	Marri Panchali & unclaimed

4	96-1	0.957	Govt. Dry	Mullapudi Durga Subrahmanyewara Anjani Kumar
5	98-1	0.581	Govt. Dry	1. Yamala Sandeep 2. Yamala Rajasekhar @ Sriramachandrudu
6	98-2	0.274	Govt. Dry	1. Alapati Krishna Vani 2. Seeli Madhavi
7	104-5	0.006	Inam Dry	Yajjavarapu Satyavathi
8	266	0.385	Govt. Wet	Sarika Verakamma
9	98-1	0.03	Govt. Dry	Yamala Sandeep
10	118-A	0.348	G.P	Cheruvu
11	118-B	0.052	G.P	Railway Land
12	118-C	0.772	G.P	Railway Land
13	121-1	0.046	G.P	Grama Kantam
14	122	0.475	G.P	Railway Land
15	112	0.134	G.P	Bandi Dari
16	113	0.125	G.P	Bandi Dari
17	110	0.297	G.P	Railway Land
18	79	0.206	G.P	Railway Land
19	101	2.388	G.P	Cheruvu
20	267	0.088	G.P	Canal
21	101	0.061	G.P	Cheruvu
	<b>TOTAL</b>	<b>9.058</b>		

[F. No. D.Con./BZA/ROB/369/20A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV